

I/445622/2023

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झींझक मार्ग (अ० जि० मा०) के किमी० ०१ (चैनेज ०.४४५-०४८१ के मध्य) बांयी पटरी पर गाटा संख्या-१७९ ग्राम गुटैया तहसील अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित ०.२४६८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/४६७४८/२०२०)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-पी-२८२/८१-२-२०२३-८००(२८१)/२०२३ दिनांक १२ दिसम्बर २०२३ के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Digitally Signed by आशीष

तिवारी

Date: 12-12-2023 15:22:11

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

I/445624/2023

संख्या-पी-282/81-2-2023-800(281)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

विषय- जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झींझक मार्ग (अ० जि० मा०) के किमी० ०१ (चैनेज ०.४४५-०४८१ के मध्य) बांयी पटरी पर गाटा संख्या-१७९ ग्राम गुटैया तहसील अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित ०.२४६८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/४६७४८/२०२०)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-१२५२/११-सी/एफपी/यूपी/अप्रोच/४६७४८/२०२० दिनांक १४.११.२०२३ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झींझक मार्ग (अ० जि० मा०) के किमी० ०१ (चैनेज ०.४४५-०४८१ के मध्य) बांयी पटरी पर गाटा संख्या-१७९ ग्राम गुटैया तहसील अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित ०.२४६८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

अतएव विषयगत प्रस्ताव परिवेश पोर्टल १.० पर अपलोड है। अतः कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by आशीष
तिवारी

Date: 12-12-2023 15:21:46

(आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ।
२. मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर।
३. प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात।
४. श्री हेमन्त कुमार मुख्य प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० पनकी कानपुर।
५. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।